



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छत्रपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

mcbu.academic@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/2264/2021

छत्रपुर दिनांक...13/12/21

अधिसूचना

तक्षशिला महाविद्यालय छत्रपुर (म०प्र०) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (Xii) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) के अंतर्गत सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की गई है।

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निरंतरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप परिणियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्र 2020-21 की निरंतरता मान्य करते हुए सत्र 2021-22 के लिये निम्न विवरण अनुसार निरंतरता सशर्त प्रदान की जाती है।

क्र०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	रिमांक
01	तक्षशिला महाविद्यालय छत्रपुर	बी०ए०	निरंतरता
		बी०एससी०	निरंतरता
		बी०कॉम०	निरंतरता
		एम०कॉम०	निरंतरता
		एम०एससी०	निरंतरता

शर्त :-

- (1) महाविद्यालय को परिणियम 27 एवं 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों का पालन करना होगा।
- (2) महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इंडाउमेंट फंड की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रमाण 01 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में दिनांक 16.07.2020 को लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा आकस्मिक रूप से महाविद्यालय का निरीक्षण कराने पर कमी पाये जाने पर सम्बद्धता/निरंतरता समाप्त कर सकती है।

आदेशानुसार
कुलसचिव 13/12/21

पू०क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/2264/2021

छत्रपुर दिनांक...13/12/21

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल (म०प्र०)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग सागर (म०प्र०)
3. प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय छत्रपुर जिला छत्रपुर (म०प्र०)
4. प्राचार्य तक्षशिला महाविद्यालय छत्रपुर (म०प्र०) की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि माननीय न्यायालय की याचिका क्रमांक 9124/20 के आदेशानुसार महाविद्यालय की बकाया शुल्क एक माह के अंदर विश्वविद्यालय में जमा की जावेगी।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छत्रपुर (म०प्र०)
6. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छत्रपुर (म०प्र०)
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर वि०वि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. मूल नरस्ती हेतु।

कुलसचिव